

## प्रेस नोट

कल दिनांक 20.10.2020 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय अमरिया , क्षेत्राधिकारी नगर महोदय जिला पीलीभीत व प्रभारी निरीक्षक अतर सिंह थाना सुनगढी पीलीभीत के द्वारा नियमानुसार थाना सुनगढी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 563/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त फईम कुरैशी पुत्र छोटे कुरैशी निवासी भिखारीपुर थाना सुनगढी पीलीभीत के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 10 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई।

आपराधिक इतिहास:-

फईम कुरैशी पुत्र छोटे कुरैशी निवासी ग्राम भिकारीपुर थाना सुनगढी जिला पीलीभीत

1.मु0अ0सं0 1841/16 धारा 3/5क/8 गौहत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता एक्ट

2.मु0अ0सं0 625/17 धारा 3/5/8 गौहत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता एक्ट

3.मु0अ0सं0 563/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सुनगढी जिला पीलीभीत